कार्यालय छत्तीसगढ़ स्टेट फार्मेसी काउन्सिल, रायपुर

(फार्मेसी अधिनियम – 1948 की धारा 19 के तहत गठित)

(छ.ग. शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अधीन सांविधिक निकाय)

मकान नम्बर – 40, आनन्द नगर, रायपुर (छ.ग.) 492006

फोनः–0771–2444591, मो.नं.– 94255 05779, ईमेलः– **cspcraipur@gmail.com** वेबसाईटः– **www.cspc.in**

क्रमॉक / सी.जी. / फार्मा / 2024 / 816 रायपुर, दिनॉक :– 30 / 09 / 2024

::– सूचना –::

(फार्मासिस्ट पंजीयन क्रमॉक प्राप्त करने की तिथि बढ़ाये जाने सम्बन्धी)

छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानन्द तकनीकी विश्वविद्यालय से फार्मेसी उत्तीर्ण करने वाले ऐसे उम्मीदवार जिन्होंने छत्तीसगढ़ स्टेट फार्मेसी काउन्सिल रायपुर में फार्मासिस्ट पंजीयन के लिए 12 सितम्बर, 2024 तक आवेदन फार्म भरकर जमा किया है, किन्तु फार्मासिस्ट पंजीयन क्रमॉक (**Pharmacist Registration No.**) उन्हें आबंटित नहीं हुआ है, ऐसे सभी आवेदकों को आवश्यक रूप से दिनॉक 30 सितम्बर, 2024 तक शासकीय कार्य दिवसों में सायं 4:00 बजे तक समस्त मूल दस्तावेजों के साथ स्वयं उपस्थित होकर दस्तावेज सत्यापन (**Document Verification**) करवाकर फार्मासिस्ट पंजीयन क्रमॉक प्राप्त कर पंजीयन कार्यवाही पूर्ण कर लेने का अवसर प्रदान किये जाने की सूचना प्रसारित की गयी थी ।

छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानन्द तकनीकी विश्वविद्यालय के अतिरिक्त अन्य विश्वविद्यालय एवं छत्तीसगढ़ राज्य के अतिरिक्त अन्य राज्यों से फार्मेसी उत्तीर्ण करने वाले उन उम्मीदवारों को जिनकी अंकसूची का सत्यापन सम्बन्धित विश्वविद्यालय से इस कार्यालय को प्राप्त हो चुका है, उन्हे भी 30 सितम्बर, 2024 तक उपस्थित होकर पंजीयन क्रमॉक प्राप्त करने का अवसर प्रदान किया गया था। अंकसूची सत्यापन प्राप्त हो चुके आवेदकों की सूची कार्यालय के वेबसाईट पर अपलोड कर दी गई है अवलोकन कर सकते हैं।

अतः उपरोक्तानुसार आवेदकों को पुनः एक बार अवसर प्रदान करते हुए स्वयम् उपस्थित होकर दस्तावेज सत्यापन करवाकर पंजीयन क्रमॉक प्राप्त करने की तिथि को बढ़ाते हुए 04 अक्टूबर, 2024 किया जाता है। 04 अक्टूबर, 2024 के पश्चात् आनलाईन मोड से पुनः आवेदन प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

समस्त फार्मेसी संस्थानों / फार्मेसी छात्रों / सर्वसम्बन्धितों को सूचनार्थ।

आदेशानुसार
रजिस्ट्रार
छत्तीसगढ़ स्टेट फार्मेसी काउन्सिल
रायपुर (छ.ग.)